न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 37/2022

1. किशनलाल पुत्र गोपालराम जाति मेधवंशी साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

– अपीलान्ट

1. गोपालराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवंशी साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लिलूराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवंशी साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर

– रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितिः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–02

निर्णय दिनांकः– 28/07/2023

अपीलांट किशनलाल पुत्र गोपालराम जाति मेधवंशी साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू राजस्व नियम 1956 विरूद्व नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 जो विद्वान तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा तस्दीक किया गया को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक दावा माननीय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर में इस आशय का पेश किया वादी व प्रतिवादीगण के पड़दादा कि पैदा कर्दा खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के साबिका ख.नं. 9 की 13.17 बीघा भूमि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख.नं. 11 की 20.11 बीघा, ख.नं. 38 की 47.15 बीघा भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 544/417/2 की 49.18 बीघा भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के दादा डूंगरराम पुत्र बस्तीराम के नाम दर्ज है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा एवं वादी के दादा अकेला 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

28/7/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपरोक्त भूमि हाल ख.नं. 15 की 13.18 बीघा भूमि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के हाल ख.नं. 48 की 20.11 बीघा भूमि एवं रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के हाल ख.नं. 42 की 47.9 बीघा भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के हाल ख.नं. 304 की 45 बीघा ख.न. 317 की 21.19 बीघा भूमि में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के 15 की 13.17 बीघा भूमि एवं रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख.नं. 42 की 47. 9 बीघा एवं ख.नं. 48 की 20.11 बीघा भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.नं. 304 की 45 बीघा ख.नं. 317 की 21.19 बीघा भूमि में कुल 900 हिस्सा भूमि के खातेदार अपीलान्ट के दादा डुगंरराम पुत्र बस्ती के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की पैदा कर्दा कृषि भूमि है जिसमें प्रत्येक निस्फ–निस्फ 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुतोष को प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर में दावा इश्तकरार हक का पेश किया।

2. माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजस्व नोहर में राजस्व वाद सं. 35/93 व बअनवानी किशनलाल बनाम डुंगरराम आदि प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ इकबाल दावा पेश किया तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर द्वारा एक तरफा बहस सुनी जाकर वाद वादीगण डिक्री कर दिया गया। वाद भूमि को पैतृक जायदाद मान कर वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के साथ हक व हिस्सा तस्लीम कर लिया जाकर एवं निम्नानुसार पर्चा डिक्री जारी की गई। रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के 15 की 13.17 बीघा भूमि एवं रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख.नं. 42 की 47.9 बीघा एवं ख.नं. 48 की 2041 बीघा भूमि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 304 की 45 बीघा ख.नं. 317 की 21.19 बीघा भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 900 हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्से वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 में ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

3. माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर के निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 31.01.1994 के आधार पर रोही मोजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। परन्तु रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 में अपीलान्ट के दादा डुगंर पुत्र बस्ती के नाम दर्ज कुल तादादी 68 बीघा भूमि में डुंगर पुत्र बस्ती का 1/2 हिस्सा एवं गोपालराम पुत्र डुंगरराम, लिलूराम पुत्र गोपालराम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया एवं उपरोक्त नामान्तरण में अपीलान्ट किशनाराम, गोपालराम पुत्र डुगरराम, लिलूराम पुत्र गोपाल ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा एवं

28/7/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

डुंगर पुत्र बस्तीराम 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। उपरोक्त नामान्तरण सं. 25 दिनाक 04.01.1996 माननीय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर में प्रस्तुत वाद सं. 35/93 बअनवानी किशनलाल बनाम डुंगरराम आदि में पारित निर्णय की अनुपालना में दर्ज होना चाहिए था परन्तु निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 31.01.1994 की अनुपालना में विद्वान तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 को तस्दीक नही किया गया है एवं अपीलान्ट को उसके हक व हिस्से से महरूम कर दिया गया है।

4. विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर बअनवानी किशनलाल बनाम डुंगरराम आदि में पारित व निर्णय के अनुपालना में अक्षरशः पर्चा डिक्री के अनुसार नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था परन्तु पटवारी हल्का भोगराना द्वारा रेस्पोडेन्टस से साज–बाज कर अपीलान्ट को उसके हक व हिस्से से महरूम कर दिया। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर में वाद भी अपीलान्ट द्वारा अपने हक व हिस्से के लिए पेश किया था एवं रेस्पोडेन्टस सं. 3 ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर के द्वारा पारित निर्णय व पर्चा डिक्री का बिना अवलोकन कर नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 04.01.1996 स्वीकृत कर दिया, जो कि विधिक अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।
5. नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 का मूल आधार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 31.01.1994 का था तथा नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 माननीय विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर के द्वारा पारित निर्णय व पर्चा डिक्री के अनुसार अक्षरशः पालना होनी थी तथा उपरोक्त निर्णय व पर्चा डिक्री के अनुसार कतई पालना नही की गई एवं नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन नामान्तरण है, जो कि प्राकृतिक न्याय के मूल भूत सिद्धान्तो के विपरीत दर्ज किया गया है।
6. नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर द्वारा सहमति के आधार पर पारित निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 31.01.1994 को आधार पर मानकर तस्दीक किया गया है तथा निर्णय व पर्चा डिक्री में स्पष्टतः वादी के रूप में अपीलान्ट का नाम दर्ज था तथा अपीलान्ट का हक व हिस्सा डिक्री में तय किया गया था। अपीलान्ट का हक व हिस्सा रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 2 के साथ ब.हि.ब. दर्ज होना था। इसलिए वर्तमान में उक्त नामान्तरण स्वतः ही शून्य है। उक्त परिस्थिति के कारण आक्षेपित नामान्तरण को चुनौती देने के कारण परिस्थितिया अवधि रही आड़े नही आती है। फिर भी तकनीकी त्रुटियों से बचने हेतु धारा 5 परिसीमन अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रश्नगत अपील के साथ पृथकतः प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा सम्पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत की जा रहा है।

28/7/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

8. अपीलान्ट ने विद्वान तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 के विरूद्ध अन्य न्यायालय में कोई अपील व वाद जैरकार नही है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाते हुऐ विद्वान तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक नामानतरण सं. 25 दिनांक 04.01.1996 को निरस्त फरमाते हुऐ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर द्वारा पारित वाद सं. 35/93 में पारित पर्चा डिक्री दिनांक 31.01.1994 के अनुसार नामान्तरण स्वीकृत फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रजिस्टर्ड डाक से तामिल होनें के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि हमारा दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में विचाराधीन था, जो किशनलाल का अपने पिता के खिलाफ पैतृक सपंति के संबध में था। ललानाबास उतरादा की 13.17 बीघा एंव जोरावरपुरा की 47.15 बीघा, दलपतपुरा की 49.18 बीघा भूमि पैतृक है, जिस पर प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में विचाराधीन वाद में पिता डुंगरराम, भाई गोपाल व लीलू ने इकबालिया जवाब दिया और वाद दिनांक 31.01.1994 डिक्री हुआ। इस डिक्री के आधार पर ललानाबास की भूमि तो हमारे नाम दर्ज हो गई परन्तु जोरावरपुरा व दलपतपुरा की भूमि में वादी(अपीलांट) का नाम छोड़ दिया गया। हमारा नाम गलत तरीके से छोड़ा गया। यह विधि की अवहेलना है। यह नामान्तरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय के अनुसार होना था परन्तु गलत दर्ज हुआ। अतः उक्त नामान्तरण निरस्त किया जाकर पत्रावली रिमांड की जावें ताकि मुताबिक डिक्री नामान्तरण दर्ज हो सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–02 ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 04.01.1996 दर्ज नामान्तरण की अपील के संबध में दफा 5 में कहा कि ज्ञान नहीं होनें की बात की। अपीलांट स्वंय पक्षकार थे और नामान्तरण का ज्ञान था। 26 वर्ष पश्चात अपील पेश की गई, जो कानून सम्मत नहीं है। म्याद के संबध में कोई संतोष जनक कारण भी दर्ज नहीं किये गये। सीपीसी के तहत डिक्री की क्रियान्विति की समय सीमा 12 वर्ष है। इस हेतू निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) RBJ 2000 Page no. 400 (Limitation for execution of Degree as 12 Years) के अनुसार इतनें 28 वर्ष पश्चात डिक्री की पालना नहीं करवा सकते। इससे आदेश 21 सीपीसी की अवहेलना होगी।

28/7/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(2)RBJ 2019 page no. 24 इंगित करता है कि वादी अगर लापरवाह है तो उसे राहत नहीं दी जा सकती।

(3) RBJ 2019 Page 20 (Limitation Act. 1963 की धारा –5 म्याद की सीमा कठोरता जाहिर करती है कि म्याद को मर्जी से नही बढ़ा सकते।

अत: Sec. 5 Limitation के आधार पर अपील को खारिज फरमाया जावे। यह पहले निर्धारित करना होगा – (RRT 2011 VoL(7) Page 679) तत्पश्चात मैरिट पर सुना जावेगा।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि मेरा बिंदु डिक्री क्रियान्विती का नहीं है। मेरा नाम छोड़ दिया गया। इसका कारण है कि दावा वर्ष 93 में पेश किया गया था। मेरा चयन अध्यापक पद हो गया और पदस्थापन अजमेर जिले में हो गया। जब पुनः वर्ष 2015–16 में पुनः यहां स्थानान्तरण होनें पर जानकारी हुई कि मेरा नाम नामान्तरण में रह गया। यह राजस्व कर्मचारियों की गलती है। इस हेतु दृष्टांत पेश किया– RBJ 2016 Page No. 679 के अनुसार मैरिट पर आधारित प्रकरण में अगर निर्णय कानून सम्मत है, तो दफा 5 के तहत देरी का कारण देखा जाएगा। इस हेतू अन्य दृष्टांत पेश किया– DNJ 2015 VOL(3) Page no. 202. इस दृष्टांत में नामान्तरण की 30 वर्ष बाद अपील पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने 30 वर्ष पश्चात स्वीकार की। अन्य दृष्टांत–RBJ 97 Page no. 27 – NO Limitation, When Entries in revenue record made by committing fraud on the state.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि अगर कर्मचारी है तो पढ़ा लिखा है, तब तो जिम्मेदारी बन जाती है, अशिक्षित किसान नहीं है। अतः धारा 5 पर प्रथम विचार होना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मेरा नामान्तरण विरासतन नहीं है, डिक्री के आधार पर ही नामान्तरण दर्ज हुआ है।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अपील 26 वर्ष की देरी से पेश की गई है। साथ ही यह भी सही है कि अपीलांट द्वारा इसका उपयुक्त कारण भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय की राय में देरी को माफ किया जाना उचित है। दृष्टांत RBJ 2016 Page No. 679 सही प्रतीत होता है। जहां तक निर्णय की पालना का संबध है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री पर्चा के अनुसार नामान्तरण भरा जाना था परन्तु नामान्तरण संख्या 25 निर्णयानुसार नहीं भरा गया। डिक्री की पालना तो हुई परन्तु नामान्तरण में त्रुटि रह गई और अपीलांट का नाम सहवन से रिकॉर्ड में नहीं आया। यह मात्र राजस्व कार्मिकों की त्रुटिमात्र है जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है। इस हेतू अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत– RBJ 97 Page no. 27 – NO Limitation, When Entries in revenue record made

28/7/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

by committing fraud on the state. सही चस्पा होता है। चूंकि नामान्तरण डिक्री के आधार पर भरा गया था। अतः डिक्री पर्चा अनुसार अक्षरशः दर्ज होना चाहिए था।

अतः यह न्यायालय इस अपील को स्वीकार योग्य मानता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और नामान्तरण संख्या 25 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नोहर को आदेश दिया जाता है कि डिक्री पर्चा अनुसार अक्षरशः नामाान्तरण दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्त्र हो।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/7/23
(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)